HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9583/2026
URN: CRLMB / 17791U / 2026

Suresh Saini S/o Gulab Ram, Aged About 34 Years, R/o Village Birani, Presently Infront Of Adarsh School, Gotan Road, Bhopalgarh, District Jodhapur, Presently Confined In Central Jail Jaipur.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. M.I. Abbasi Mr. J.R. Chaudhary Mr. Dinesh Sonu
For Respondent(s)	:	Mr. Rajesh Chaudhary, GA cum AAG Mr. Jaiprakash Tiwari, PP Mr. Gaurav Gupta, AGA

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

03/07/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– स्पेशल पुलिस थाना–एसओजी, जिला– एटीएस एवं एसओजी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 45/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/21 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 12.06.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 12.06.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय व अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **सुरेश सैनी पुत्र गुलाब राम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 53